न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र.

पुनरीक्षण प्रक.कृ.– R-1861-I/12

1. बुध्धूलाल पिता सुनमा गडारी उम्र 76 वर्ष

निवासी ग्राम अतरिया तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

2. माधुरी पति भगवत प्रसाद गडारी

निवासी ग्राम अतरिया तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

——पुनरीक्षणकर्त्ता गण

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
26 MAY 2012
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1521

विरूद्ध

बसोरी लाल पिता कुन्जीलाल गडारी उम्र 68 वर्ष

निवासी ग्राम खिरहनी तहसील सिहोरा जिला जबलपुर

——उत्तरापेक्षी

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्त्ता गण न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा द्वारा रा.अपील प्रक.कृ. अ–6/09–10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20/12/11से व्यथित होकर अन्य के साथ निम्न लिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण पेश करते हैं:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्त्ता कृ. 1 की पैत्रक भूमि ग्राम खिरहनी प.ह.नं. 40 रा.नि.मं. मझगवां तहसील सिहोरा जिला जबलपुर में स्थित है जिसके ख.नं. 26 एवं 70 रकबा कृमशः 1.16 , 0.06 है. है। उक्त भूमि पुनरीक्षणकर्त्ता कृ. 1 को पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है।
2. यह कि वाद भूमि मूलतः पुनरीक्षणकर्त्ता कृ. 1 की पैत्रक भूमि है जो पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में पुनरीक्षणकर्त्ता कृ. 1 को प्राप्त हुई है। उत्तरापेक्षी पुनरीक्षणकर्त्ता कृ. 1 के परिवार का सदस्य नहीं है। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(1)(क) के तहत वाद भूमि के संबंध में उत्तराधिकारी की श्रेणी में भी नहीं आता है अतः उत्तरापेक्षी हितबद्ध पक्षकार नहीं है इसके बावजूद उत्तरापेक्षी ने वादभूमि के नामान्तरण के सम्बंध में अपील की है, जिस पर प्रारंभिक आपत्ति पेश कर पुनरीक्षणकर्त्ता गण ने अपील को सुनवाई हेतु ग्राहय ना करने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय से किया था किन्तु अधीनस्थ

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1861/एक/2012 जिला.....जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
20.1.16	निगरानीकर्ता के अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ 6/10-11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.12 के विरूद्ध भूलवश निगरानी कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता सॅशोधित अधिनियम 2011 के अनुसार ग्राह्य-योग्य एंव सुनवाई योग्य न होने से सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के आदेश के साथ निरस्त की गई है जिसके कारण कलेक्टर व्दारा दी गई सॅसूचना के साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति सहित निगरानी प्रस्तुत की गई है जो सुनवाई हेतु ग्राह्य की जावे। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुक्रम में	

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1861/एक/2012 जिला.....जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा जिला जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 7 अ 6/10–11 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.12 का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील कमांक 7 अ 6/10–11 में उभय पक्ष को श्रवण कर अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.11 से सुनवाई में ग्राह्य की है जहॉ उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 20.12.11 से किसी पक्ष विशेष को प्रत्यक्ष लाभ/हानि नहीं हुई है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	